M.C- ... 215

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

1— विन्द्रावन तनय अजुद्दी साहू , निग -3511- I-16

2— भगवानदास तनय अजुद्दी साहू ,

निबासी— ग्राम दवरदा , तह0 वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.................आवेदकगण

वनाम

1— छन्दू तनय उददेता अहिरवार ,

2— सुखनंदी तनय उददेता अहिरवार ,

3— कल्ला तनय उददेता अहिरवार ,

4— मकुदी तनय उददेता अहिरवार ,

निबासी— ग्राम दवरदा , तह0 वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म प्र0

.... तरतीबी अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदिकागण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 56/अपील/2013—14 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12/05/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में न होने से पृथक से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलगन है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदकगण के पिता अजुद्दी सौंर को ग्राम देवरदा स्थित भूमि खसरा नंबर 343 में रकवा 0.120 एकड़ में से 60 एकड़ , खसरा नंबर 345 कुल रकवा 0.70 एकड़ में से 0.35 एकड़ तथा खसरा नंबर 345 रकवा 2.26 एकड़ भूमि में से 1.13 एकड़ का पटटा

..जेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि० - 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.— 9425451002

9425451002

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3511–एक/16 जिला –टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
19 ,10.16	मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी सागर कैम्प पर दिनांक 26.9.16 को अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 56/अपील/2013–14 में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 12.5.16 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये । प्रकरण का अवलोकन किया गया। 2– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि आवेदकगण के पिता अजुद्वी साहू को ग्राम देवरदा स्थित भूमि खसरा नंबर 343 में रकवा 0.120 एकड़ में से 0.60 एकड़, खसरा नं0 345 कुल रकवा 0.70 एकड़ में से 0.35 एकड़ तथा खसरा नंबर 345/अ रकवा 2.26 एकड़ भूमि में से 1.13 एकड़ का पट्टा अन्य बहुत से ग्राम बासियों के साथ 1981–82 में प्राप्त हुआ था, उसी प्र0क0 में अनावेदकगण के पिता उददेता को भी 345/अ में से 0.457 है0 यानि कि 1.13 एकड़ का पट्टा प्रदान किया गया था। वर्ष 1984–85 में प्र0 क0 37/अ–19/1984–85 में पारित आदेश दिनांक 21.6.85 के द्वारा अजुद्वी का पट्टा स्थाई करके भूमि स्वामी घोषित किया गया था। उपरोक्त बंटन के आधार पर अजुद्वी का नाम उपरोक्त खसरा	

में दर्ज हो गया था। वर्ष 1996-97 के उपरांत खसरा रोस्टर के दौरान वर्ष 1997-98 में अजुद्धी का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के छोड़ दिया गया था। जिसे सुधार वावद एक आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष एवं उनके निरस्त कर देने पर उसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर निरस्त कर दी गई। जिससे परिवेदति होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रश्नाधीन आदेशों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अजुद्धी तनय नथुआ साहू को ग्राम देवरदा स्थित भूमि खसरा नंबर 343 रकवा 0.120 एकड़ में से 0.60 एकड़ खसरा नंबर 345 रकवा 0.70 एकड़ में से 0.35 तथा खसरा नंबर 345/अ रकवा 2.26 एकड़ में से 1.13 एकड़ का पटट्ा अन्य बहुत से ग्रामवासियों के साथ 1975-76 में प्राप्त हुआ था, तथा वर्ष1984-85 में प्र0क037/अ-19/1984 -85 में पारित आदेश दिनांक 21.6.1985 के द्वारा स्थाई किया गया था। आवेदकगण द्वारा संबंत् 1919 की खतौनी बंदोवस्त प्रस्तुत की है। जिसमें खसरा कमांक 343 में रकवा 0.120, खसरा न0 345 कुल रकवा 0.90 एकड़ तथा खसरा न0 345/अ रकवा 2.26 एकड़ दर्ज है। संबत 2034 के खसरा में अजुद्धी का नाम राजस्व अभिलेख में पटट्ा के अनुसार ही दर्ज है, जो लगातार 1996 तक दर्ज है। वर्ष 1997-98 के खसरा में रोस्टर के दौरान कमांक 343 रकवा 0.60 तथा खसरा कमांक 345/2 रकवा 0.35, कॉलम कमांक 3 में नाम रिक्त छोड़ दिया गया है, उस पर किसी का नाम दर्ज नहीं है। खसरा कमांक 345/अ रकवा 1.13 पर वर्ष 1992-93 में अजुद्धी के स्थान पर उददेता

का नाम दर्ज है। खसरा कमांक 345 में वर्ष 1998-99 के कॉलम 14 में पटवारी द्वारा उददेता के वारिसों का फौती नामांतरण किया गया है, तथा वर्ष 2003-05 में लाल स्याई से टीप अंकित की है। कि ''बन्दोवस्त खतौनी के अनुसार 0.457 है0 रकवा कम है''। जिसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित किये गये हैं। भूमि खसरा कमांक 345/अ रकवा 2.26 एकड़ में से ही 1.13 एकड़ का पट्टा अनावेदकगंण के पिता उददेता को भी अजुद्वी के साथ ही सूची में कमांक 14 पर प्राप्त हुआ था।

4- अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह माना कि, अनावेदकगंण के पिता को वर्ष 1975-76 में खसरा कमांक 345 में से 1.13 एकड़ का पट्टा मिला था, आवेदकगंण के पिता के फौत होने पर उनके नाम अभिलेख में दर्ज किये गये हैं, ''आवेदकगंण को चाहियें था कि एक्त बंटन के विरूद्व अपीलीय न्यायालय में अपील करना चाहियें थी, जो नहीं की है।'' अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदकगंण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किये बगैर ही आदेश पारित किये हैं। उनके द्वारा विवाद सुलझाने का प्रयास ही नहीं किया गया। वादभूमि खसरा कमांक 343 एवं 345/2 जिन पर कोई विवाद ही नहीं था पर कोई आदेश ही पारित नहीं किया। जबकि उपरोक्त भूमियां आवेदगंण के पिता के नाम से पट्टा के आधार पर खसरा में दर्ज रहीं है। उन्हें पूर्ववत् दर्ज क्यों नहीं किया जा सकता, आदेश में लेख ही नहीं किया। मात्र 345/अ पर ही विधि

विरूद्ध आदेश पारित करके अपीलें निरस्त कर दीं। चकबंदी खतौनी वर्ष 1919 में खसरा कमांक 345/अ का कुल रकवा 2.26 एकड़ था। उसमें से 1.13 का पट्टा अजुद्धी को तथा कमांक 14 पर उददेता को प्रदान किया गया है। पटवारी द्वारा खसरा वर्ष 2004-05 में 345/अ का कुल रकवा 0.457 बंदोबस्त खतौनी के आधार पर होना लेख किया है, वह निराधार रूप से लेख किया है। क्योंकि बंदोबस्त खतौनी में रकवा 2.26 एकड़ दर्ज है। दोनों पक्ष 1.13, 1.13 एकड़ पर मौके पर पट्टा अनुसार कांबिज भी हैं।

अतः आवेदकगंण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, दोंनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि, वादभूमि खसरा कमांक 343/1 रकवा 0.242, खसरा कमांक 345/2 रकवा 0.142 पर आवेदकगंण के पिता अजुद्धी का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जावे। खसरा नंबर 345/क का कुल रकवा बंदोबस्त खतौनी वर्ष 1919 के अनुसार कुल रकवा 1.13 के स्थान पर 2.26 एकड़ सुधार करके 1.13 एकड़ पर अजुद्धी तथा 1.13 पर उददेता का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जावे। तदानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दाखिल दर्ज हो।

सदस्य